आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

17.02.15

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

जमाबंदी सुधार वाद संख्या–307/12–13

सरकार

बनाम

मदन दास वगैरह

आदेश

अंचल अधिकरी ठकराहाँ के पत्रांक 339, दिनांक 18.07.2012 द्वारा विविध वाद संख्या 08/2009–10 इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री मदन दास, पिता–स्व० चन्द्रिका दास, ग्राम– मलाही टोला, अंचल ठकराहाँ ने अंचल अधिकारी ठकराहाँ को आवेदन पत्र दिया कि उनके पिता–चन्द्रिका दास के नाम से बैनामा दास्तावेज संख्या–6251 दिनांक 28.10.1958 द्वारा तिलकधारी साह, पिता–रंगी साह से ग्राम ठकराहाँ में खाता संख्या–141, खेसरा संख्या–9523 रकबा 13 कट्ठा 8 धुर जमीन खरीद की गई। जिसका जमाबन्दी संख्या–2140 दर्ज हुआ, लेकिन वर्तमान में उक्त जमीन का रसीद उनकी माँ एवं चाचा के नाम से कट रहा है। अतः उन्होने आग्रह किया है कि पूर्व मालगुजारी रसीद एवं दास्तावेज को देखते हुए पूर्व जमाबन्दी को बहाल रखा जाय।

अंचल अधिकारी ने आवेदक के आवेदन पत्र पर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया एवं संबंधित सभी व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किया। अंचल अधिकारी द्वारा मुद्रिका दास एवं जोन्हिया देवी का बयान लिया गया है, मदन दास द्वारा लगान रसीद एवं दास्तावेज की छाया प्रति दाखिल की गई है।

अंचल अधिकारी ने अभिलेख में दिनांक 25.04.2012 के आदेश फलक में लिखा है कि दास्तावेज संख्या–6251 दिनांक 28.10.1958 विक्रेता श्री तिलकधारी साह, वल्द रंगी साह, क्रेता चन्द्रिका दास, वल्द–फुलचन्द दास, मौजा–ठकराहाँ, थाना न०–433 खाता न०–141 खेसरा संख्या–9523 रकबा 13 कट्ठा 8 धुर जमीन बैनामा क्रय किया गया।

17-02-15

क्रेता के नाम से जमाबन्दी दाखिल खारिज के पश्चात् कायम हुआ था। परंतु वाद में मुस्मात जोन्हिया देवी, पति चन्द्रिका दास एवं मुन्द्रिका दास, पिता फुलचन्द दास के नाम से दर्ज कर दिया गया । जिसपर कोई आदेश सक्षम पदाधिकारी, द्वारा अंकित नहीं है।

अंचल अधिकरी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में जमाबन्दी पर दर्ज मुस्मात जोन्हिया एवं मुन्द्रिका का नाम संदिग्ध है। बैनामा (केवाला) के आधार पर चन्द्रिका दास, पिता फुलचन्द दास का जमाबन्दी कायम होना चाहिए। जो न्यायोचित है। अतः उन्होने अभिलेख को जमाबन्दी सुधार हेतु भेजा है, अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् इसे विचारण हेतु अंगीकृत किया गया एवं संबंधित पक्षकार मदन दास को सूनवाई हेतु नोटिस दी गई। मुद्रिका दास की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है, तथा मदन दास एवं जोन्हिया देवी की तरफ से प्रतिउतर दाखिल किया गया है।

मुन्द्रिका दास, पिता स्व०–फुलचन्द दास, साकिन ठकराहाँ टोला मलाही, अंचल ठकराहाँ द्वारा जवाब दिया गया है कि प्रस्तुत वाद में सन्निहीत भूमि उनके पिता द्वारा वर्ष 1958 में तिलकधारी साह से बैनामा खरिदगी भूमि है। फुलचन्द्र दास को दो लडके हुए चन्द्रिका दास एवं मुन्द्रिका दास। चन्द्रिका दास की मृत्यु हो गई है, इनके तीन लडके है :– हीरामन दास, लालबाबु दास एवं मदन दास। चन्द्रिका दास की पत्नी मुस्मात जोन्हिया है, उनका कहना है कि फुलचन्द दास की मृत्यु वर्ष 1998 में हो गई। प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी फुलचन्द दास के नाम पर चल रही है। उनके मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त जमाबन्दी का अन्नतरण चन्द्रिका दास की पत्नी मुस्मात जोन्हिया एवं मुद्रिका दास के नाम पर हो गया और उन्ही दोनों के नाम पर जमाबन्दी संख्या–2410 चल रहा है। उनका यह भी कहना है कि अंचल कार्यालय ठकराहाँ में संधारित वाद संख्या 8/2009–10 में उन्हे नोटिस दी गई थी। उन्होने उपस्थित होकर जवाब देने हेतु समय की माँग की गई। लेकिन उनके बातो को बिना सुने अंचल अधिकारी ने दिनांक 25.04.2012 को आदेश पारित किया कि चन्द्रिका दास के नाम नया जमाबन्दी कायम होना न्याय उचित है। उनका यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी द्वारा बनावटी प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उन्होने फुलचन्द दास के नाम के लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल की है, जिसमे जमाबन्दी संख्या–2410 रकबा 13 कट्ठा 8 धुर अंकित है। इसके

17.02.15

आलोक में मुस्मात जान्हिया देवी एवं चन्द्रिका दास के नाम लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई है, जिसमें जमाबन्दी संख्या–2410 रकबा 13 कट्ठा 8 धुर अंकित है।

मदन दास एवं श्रीमति जोन्हिया देवी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिउतर दाखिल किया गया है। इनका कहना है कि इनके पिता चन्द्रिका दास के नाम से अंचल कार्यालय द्वारा दाखिल खारिज होकर उनके नाम से जमाबन्दी संख्या–2410, कायम किया गया । लेकिन वाद में मुस्मात जोन्हिया देवी जो मदन दास की माँ है, एवं मुन्द्रिका दास, चाचा हैं, के नाम से जमाबन्दी कायम कर दी गई है। लेकिन जमाबन्दी पंजी पर सक्षम पदाधिकरी के आदेश का उल्लेख नहीं किया गया है। उनका कहना है कि अंचल अधिकारी ठकराहाँ द्वारा मामले की जाँच की गई एवं इनका दखल कब्जा पाया गया। अतः उन्होने जमाबन्दी को पूर्वत् कायम करने हेतु अपना प्रतिवेदन भेजा है, उनका आग्रह है कि जमाबन्दी संख्या–2410 से मुन्द्रिका दास का नाम हटा कर चन्द्रिका दास के वैधिक वारिसों का नाम अंकित किया जाय।

इन्होने तिलकधारी साह, वल्द रंगी साह द्वारा चन्द्रिका दास, पिता फुलचन्द दास को दिनांक 28.10.1958 को लिखे गये दास्तावेज की छायाप्रति दाखिल की है। जिसमें प्रश्नगत् जमीन सन्निहित है इसमें अतिरिक्त चद्रिका दास के नाम से निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई है। जिसमें जमाबन्दी संख्या–2410 रकबा 13 कट्ठा 8 धुर अंकित है।

दोनो पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। दास्तावेज संख्या–6251, दिनांक 28.10.1958 की छाया प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा ठकराहाँ खाता संख्या–141, खेसरा संख्या–9523, रकबा 13 कट्ठा 8 धुर जमीन चन्द्रिका दास, पिता फुलचन्द दास ने तिलक धारी साह, पिता रंगी साह से खरीदा है, जिसके आधार पर चन्द्रिका दास के नाम से जमाबन्दी संख्या–2410 कायम की गई, लेकिन वाद में बिना किसी आधार के चन्द्रिका दास के स्थान पर मुस्मात जोन्हिया एवं मुन्द्रिका दास का नाम जमाबन्दी संख्या–2410 पर अंकित कर दिया गया है।

मुन्द्रिका दास का कहना है कि प्रश्नगत जमीन फुलचन्द दास के नाम से खरीदी गई है। लेकिन इससे संबंधित कोई दास्तावेज दाखिल नहीं की गई है। जब कि वास्तविकता है कि प्रश्नगत जमीन

17.02.15

चन्द्रिका दास के नाम से खरीदी गई है। मुन्द्रिका दास ने फुलचन्द दास के नाम का लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया है। जिसमें जमाबन्दी संख्या–2410, रकबा 13 कट्ठा 8 धुर अंकित है। प्रश्न उठता है कि जब फुलचन्द दास के नाम से जमीन खरीदी ही नहीं गई तो, फिर उनके नाम से जमाबन्दी संख्या–2410 किस आधार पर कायम की गई है। मुस्मात जोन्हिया एवं मुद्रिका दास का नाम चन्द्रिका दास के स्थान पर बिना किसी आधार के कैसे अंकित कर दिया गया है? अंचल अधिकारी ठकराहाँ ने इसे संदिग्ध बतलाते हुए केवाला के आधार चन्द्रिका दास, पिता फुलचन्द दास के नाम पर जमाबन्दी कायम करने को न्याय उचित बतलाया है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि चन्द्रिका दास के स्थान पर मुस्मात जोन्हिया एवं चन्द्रिका दास का नाम अंकित किया जाना है, संदिग्ध है।

अतः जमाबन्दी संख्या–2410 को चन्द्रिका दास के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है, तथा अंचल अधिकारी ठकराहाँ को आदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी संख्या–2410 से मुस्मात जोन्हिया देवी एवं मुंद्रिका दास का नाम हटा कर चन्द्रिका दास का नाम अंकित करें।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी ठकराहाँ को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

17-02-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

17-02-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।